

प्रेषक,

महमूद आलम,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

कला एवं संस्कृति विभाग,

बिहार, पटना।

पटना दिनांक 29/09/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 424, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 428, 430 एवं 433 दिनांक 17.09.2026 तथा 443 दिनांक 22.09.2026 के आलोक में क्रमशः दिनांक 20 जुलाई, 2026 को सोमनाथ यात्रा हेतु 1150 पीस डेंटल कीट आपूर्ति के निमित्त ₹51,750/-, सेलो बटर पलो पेन आपूर्ति के निमित्त ₹ 11,500/-, 200 ग्राम घना सत्तू आपूर्ति के निमित्त ₹46,000/-, तैलिया आपूर्ति के निमित्त ₹51,750/-, जूट बैग आपूर्ति के निमित्त ₹ 4,58,850/-, प्रिंटेड गमछा आपूर्ति के निमित्त ₹ 1,50,334/-, स्टील ग्लास एवं चम्मच आपूर्ति के निमित्त ₹ 72,515/-, खाद्य सामग्री सोन पापड़ी, नमकीन, मीठा बिस्किट आपूर्ति के निमित्त ₹ 4,12,048/-, 1100 पीस 300 ML पैकड गंगा जल आपूर्ति के निमित्त ₹ 41,800/-, 1100 पीस बुकलेट आपूर्ति के निमित्त ₹ 49,519/- तथा दिनांक 20 से 26 जुलाई, 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा में स्वागत कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति एवं उद्घोषण कार्य करने के निमित्त कलाकार/दल/उद्घोषक को उनके मानदेय राशि भुगतान हेतु ₹ 2,65,000/- मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड 08-2205001020101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2002-कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार में तत्काल कुल राशि ₹ 16,11,066/- (सोलह लाख ग्यारह हजार छियासठ रुपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है:-

विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन
2002-कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	₹ 2,87,10,128	₹ 16,11,066	₹ 3,03,21,194
याग-	₹ 2,87,10,128	₹ 16,11,066	₹ 3,03,21,194

तत्काल आवंटित राशि ₹ 16,11,066/- (सोलह लाख ग्यारह हजार छियासठ रुपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 तथा 1148 दिनांक 18.09.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 100 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक 189/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 189/

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,

(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 29/09/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 29/09/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।